रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 427] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 3, 1941
No. 427] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 3, 1941

IndiaCode

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 527(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) चौथा संशोधन नियम, 2019 है।

 (2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में, उपाबंध में, मद VII के स्थान पर, निम्नलिखित मद रखा जाएगा, अर्थात् :-

 "VII. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के तहत ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी या डीआईआर-3 केवाईसी-वेब फाइल करने के लिए फीस।

(i) नीचे क्रम संख्या (iii) के आधार पर, ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी या डीआईआर-3 केवाईसी-वेब प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक वेब सेवा के माध्यम से भुगतान फीस, जैसा भी तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए मामला हो।	---
(ii) देय फीस (विलंब के मामले में)।	5000 रुपये

(iii) यदि कोई वैयक्तिक वेब सेवा के माध्यम से ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी या डीआईआर-3 केवाईसी-वेब फाइल करने में असफल रहा है तो देय फीस, जैसा भी मामला हो, तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए (विलंब के मामले में)।	5000 रुपये"

[फा. सं. 01/16/2013-सीएल-V (पार्ट-I)]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 268(अ) तारीख 31 मार्च, 2014 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसके पश्चात् इन्हें निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया :–

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1.	सा.का.नि.297(अ)	28.04.2014
2.	सा.का.नि.122(अ)	24.02.2015
3.	सा.का.नि.438(अ)	29.05.2015
4.	सा.का.नि.493(अ)	06.05.2016
5.	सा.का.नि.48(अ)	20.01.2018
6.	सा.का.नि. 435(अ)	07.05.2018
7.	सा.का.नि. 616(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 797(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि. 905(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि. 143(अ)	21.02.2019
11.	सा.का.नि. 329(अ)	24.04.2019
12.	सा.का.नि. 340(अ)	30.04.2019

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

G.S.R. 527(E).—In exercise of the powers conferred by sections 396, 398, 399, 403 and 404 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Registration Offices and Fees) Fourth Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014, in the Annexure, for item VII, the following item shall be substituted, namely:-

"VII. FEE FOR FILING e- Form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC-WEB under rule 12A of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014.

(i) Subject to serial number (iii) below, fee payable till the 30th September of every financial year in respect of e-form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC- WEB through web service, as the case may be, for the immediate previous financial year.	----

(ii) Fee payable (in delayed case).	Rs. 5000
(iii) Fee payable if the individual failed to file e-form DIR-3 KYC or DIR-3 KYC-WEB through web service, as the case may be, for the immediate previous financial year (in delayed case).	Rs. 5000

[F. No. 01/16/2013-CL-V (Pt-I)]

K. V. R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Extra ordinary, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 268(E), dated the 31st March, 2014 and subsequently amended by:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 297(E)	28-04-2014
2.	G.S.R. 122(E)	24-02-2015
3.	G.S.R. 438 (E)	29-05-2015
4.	G.S.R. 493(E)	06-05-2016
5.	G.S.R. 48(E)	20-01-2018
6.	G.S.R. 435(E)	07-05-2018
7.	G.S.R.616 (E)	05-07-2018
8.	G.S.R.797 (E)	21-08-2018
9.	G.S.R.905(E)	20-09-2018
10.	G.S.R.143 (E)	21-02-2019
11.	G.S.R.329 (E)	24-04-2019
12.	G.S.R.340 (E)	30-04-2019

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.26 19:52:14 +05'30'